निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20 / 2022
दायरा दिनांकः—22.11.2022
निर्णय दिनांकः— 23.7.24

उनवान

पप्पु आयु 42 वर्ष आत्मज रामकिशन जाति भील निवासी ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः— 23.7.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमियां खसरा नम्बर 122 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 232 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 236 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 238 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा कुल किता आराजीयात मवाजी 9 बीघा 10 बिस्वा अवस्थित है जो हरिसिंह ज्ञानसिंह मुन्शीलाल इन्द्रसिंह बंकटलाल इगलेश पिसरान राधाकिशन एवं द्वारका बाई शीला बाई पुत्रिया रामकिशन कमली बाई पत्नि रामकिशन के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त शामलाती खातेदारान में से हरिसिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके स्थान पर राजेश पवन राजकुमार पिसरान हरिसिंह तथा नरेशबाई दिनेश बाई रविनाथ बाई पुत्रिया हरिसिंह एवं नवरंगा बाई पत्नि हरिसिंह के नाम जर्से इंतकाल नम्बर 377 से उनकी खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। इसी प्रकार ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में ही भूमिया खसरा नम्बर 127 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 आराजीयात मवाजी 02 बीघा 09 बिस्वा अवस्थित है जो हरिसिंह ज्ञानसिंह मुंशीलाल इन्द्रसिंह व बंकटलाल इंगलेश पिसरान रामकिशन द्वारका बाई शीला बाई पुत्रिया रामकिशन कमली बाई पत्नि रामकिशन [illegible] आत्मज अमरा के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त [illegible] खातेदारान में से हरिसिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके स्थान [illegible] जर्ये फोती इंतकाल नम्बर 377 से राजेश पवन राजकुमार पिसरान हरिसिंह [illegible] नरेश बाई दिनेश [illegible] ना बाई पुत्रिया हरिसिंह तथा नवरंग बाई पत्नि हरि[illegible] के नाम खातेदारी [illegible] की जा चुकी है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियों में प्रार्थी के पिता रामकिशन की मृत्यु के बाद तस्दीक किये इंतकाल से सहवन से भूलवंश प्रार्थी का नाम पप्पु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

स्थान पर इन्द्रसिंह दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का असली नाम पप्पु ही है। इन्द्रसिंह तो केवल मात्र प्रार्थी का बोलता नाम था। परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का असली नाम पप्पु दर्ज है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पु के स्थान पर इन्द्रसिंह दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को के.सी.सी. तथा लोन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। अतः प्रार्थी उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियों में प्रार्थी का दर्ज किये गये नाम इन्द्रसिंह के स्थान पर अपना नाम पप्पु दर्ज कराने एवं राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में उक्त प्रकार से इन्द्राज दुरूस्त कराने का वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार छबडा के सम्बधित अधिकारीयों से सम्पर्क कर उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियों में प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह के स्थान पर दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नही की अन्त में दिनांक 02.11.2022 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी तहसीदार छबडा द्वारा राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में पेश करने की प्रार्थी को हिदायत दी अतः यही दिनांक 02.11.2022 बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वह आवश्यक पक्षकार होने के सबब से राज्य सरकार को जर्ये तहसीलदार छबडा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रोफोर्मा अप्रार्थी बनाया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलखेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 108 नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 109 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति आधार कार्ड पप्पु पहचान पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन हैं कि विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के शामलाती खातेदारी में है प्रार्थी के पिता रामकिशन की मृत्यु फोती इंतकाल नामान्तरण तस्दीक करते समय भूलवश प्रार्थी का नाम पप्पु के स्थान पर इन्द्रसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का असली नाम पप्पु है इन्द्रसिंह प्रार्थी का बोलता नाम है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में सही नाम पप्पु दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पप्पु के स्थान पर इन्द्रसिंह दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित रहना पड रहा प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह के स्थान पर पप्पु दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलखेडी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 108 एवं खाता संख्या 109 में प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह पुत्र रामकिशन दर्ज होना पाया जाता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो में पप्पु पुत्र रामकिशन दर्ज है इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्रसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

रामकिशन दर्ज है ग्राम वासियान से पुछताछ करने पर पाया गया कि इन्द्रसिंह व पप्पु पुत्र रामकिशन जाति भील एक ही व्यक्ति के नाम है गांव में एक ही व्यक्ति को दोनो नामो से जाना जाता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 122 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नं. 232 रकबा 3.12 बीघा, ख.नं. 236 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नं. 238 रकबा 2.08 बीघा, खसरा नं. 127 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नं. 128 रकबा 18 बीस्वा में दर्ज इन्द्रसिंह के स्थान पर इन्द्रसिंह उर्फ पप्पु पुत्र रामकिशन करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested